स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

आपणो गरिमा आपणो मान
निर्मल राजस्थान

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.4 ( ) परावि / स्व.भा.मि.(ग्रा.) / NGP VERI / 61 / 2015–16 / 1175 जयपुर, दिनांक : 2/7/15

जिला कलक्टर एवं सहअध्यक्ष
जिला स्वच्छता मिशन,
जिला समस्त

विषय :– खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों का अन्तर्जिला सत्यापन।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कई जिलों की ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त होने पर अन्तर्जिला सत्यापन हेतु प्रकरण जिलों को प्राप्त होते है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार अन्तर्जिला सत्यापन टीमों का गठन किया जाकर अन्तर्जिला सत्यापन का कार्य करवाया जावे।

क. स.	अन्तर जिला सत्यापन करवाने वाले जिलों का नाम	अन्तर जिला सत्यापन करने वाले जिलों के नाम	क. स.	अन्तर जिला सत्यापन करवाने वाले जिलों का नाम	अन्तर जिला सत्यापन करने वाले जिलों के नाम	क. स.	अन्तर जिला सत्यापन करवाने वाले जिलों का नाम	अन्तर जिला सत्यापन करने वाले जिलों के नाम
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	अजमेर	भीलवाडा	12.	दौसा	भरतपुर	23.	करोली	दौसा
2.	अलवर	धौलपुर	13.	धौलपुर	जयपुर	24.	कोटा	नागौर
3.	बांरा	टोंक	14.	डूंगरपुर	अजमेर	25.	नागौर	श्रीगंगानगर
4.	बांसवाडा	उदयपुर	15.	हनुमानगढ़	झुंझुनू	26..	पाली	राजसमन्द
5.	बाडमेर	सिरोही	16.	श्रीगंगानगर	सीकर	27.	राजसमन्द	बांरा
6.	भरतपुर	करोली	17.	जयपुर	अलवर	28.	स. माधोपुर	कोटा
7.	भीलवाडा	बूंदी	18.	जैसलमेर	जोधपुर	29.	सीकर	जैसलमेर
8.	बीकानेर	चूरू	19.	जालोर	पाली	30.	सिरोही	जालोर
9.	बूंदी	चित्तौडगढ़	20.	झालावाड़	स. माधोपुर	31.	टोंक	झालावाड़
10.	चित्तौडगढ़	बांसवाडा	21.	झुंझुनू	बीकानेर	32.	उदयपुर	प्रतापगढ़
11.	चूरू	हनुमानगढ़	22.	जोधपुर	बाडमेर	33.	प्रतापगढ़	डूंगरपुर

जिलों द्वारा सत्यापन हेतु टीम में मुख्य/अति0 मुख्यकार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, राज्य संदर्भ व्यक्ति, जिला संदर्भ व्यक्ति, स्वतंत्र प्रशिक्षक, निर्मल ग्राम पंचायतों के पुरस्कृत सरपंच, जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक एवं प्रेरक आदि को शामिल किया जा सकता है। टीम तैयार करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि टीम के सदस्य आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो सकें।

सत्यापन करने वाली टीमें नियत तिथि को जिला परिषद में उपस्थित हो कर सर्वे हेतु सत्यापन करवाने वाले जिले के जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी से दिशा–निर्देश प्राप्त करें, उसके बाद ही सत्यापन हेतु ग्राम पंचायतों के लिए प्रस्थान करना सुनिश्चित करें। जिला/ब्लॉक स्तर पर आवास की व्यवस्था तथा ग्राम पंचायतों तक आने–जाने हेतु वाहन व्यवस्था सत्यापित कराने वाले जिले द्वारा की जायेगी। सन्दर्भ व्यक्तियों को नियमानुसार मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

अतः भविष्य में जिन जिलों के द्वारा पूर्व में खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों का सत्यापन करवाया जाना हो तो अपने नाम के कॉलम के आगे अंकित जिलो के कलक्टर से सम्पर्क कर टीम का गठन करवाकर सत्यापन रिपोर्ट विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य शासन सचिव,ग्रा.वि.एवं पं.रा.वि.राज.
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त,पंचायतीराज,
3. मुख्य/अति. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
4. जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन जिला परिषद समस्त ।

शासन सचिव एवं आयुक्त